न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)

मुकदमा नम्बर :– 229 / 2025

GCMS NO. 2025/446

सरपंच ग्राम पंचायत उदामाण्डी पंचायत समिति बुहाना जिला झुंझुनू (राज0) (8005725381) जरिये श्रीमती हवाकौर सरपंच

……………….प्रार्थीया / आवेदक

– ब ना म –

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

……………….अप्रार्थी / अनावेदक

प्रार्थना पत्र बाबत – रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–

1. श्रीमती हवाकौर	प्रार्थीया	स्वयं

–: निर्णय :– दिनांक :– **26.06.2025**

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की ओर से दिनांक **19.06.2025** को इस आशय का पेश किया गया है कि :–

1. यह कि ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम उदामाण्डी में एक खसरा नम्बर 29 पूर्व में गैर मुमकीन आबादी रिकार्ड दर्ज था व वर्षो से इस खसरा में कई पीढीयों से निवासरत है। इस खसरा के मौका पर वर्तमान समय 0.08 हेक्टेयर लगभग भूमि पर वर्तमान समय पक्का मकान बना हुआ है। शेष भूमि खाली पड़ी है। भारत सरकार द्वारा चलाई गई स्वामित्व योजना सर्वे के दौरान इस भूमि पर बसे परिवारों को स्वामित्व सम्पति आई.डी. नहीं मिलने से इन परिवारों ने ग्राम पंचायत में वार्ड पंच द्वारा व लिखित में आवेदन किया है कि हम वर्षो से इस भूमि पर निवासरत है व पूर्व में यह भूमि गैर मुमकि[illegible] थी। जिसमें श्री खमाराम / बुजाराम, अमीलाल / बुजाराम जाट उदा[illegible] दिनांक 09.08.1972 को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा भी जा[illegible] प्रति संलग्न है। ग्राम पंचायत के संज्ञान में आने प[illegible] रिकार्ड में यह भूमि गैर मुमकीन आबादी रिकार्ड दर्ज थी। लेकिन लिपिकी[illegible] त्रुटि के कारण अब य[illegible] भूमि गैर मुमकीन बाड़ा रिकार्ड दर्ज है। खसरा नम्बर 29 के कुछेक हिस्से प[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.10 13:28:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनू)

निवासरत परिवारों की समस्या को देखते हुये ग्राम पंचायत ने अपनी पाक्षिक बैठक दिनांक 07.04.2025 को प्रस्ताव संख्या 03 पर सर्व सहमति से खसरा नम्बर 29 गैर मुमकीन आबादी पुनः रिकार्ड दर्ज करने का प्रस्ताव लिया है। इसके अलावा पुरानी जमाबन्दी वर्तमान खसरा पर आवासीय स्थिति यू–नक्शा मय निवासरत परिवारों के हस्ताक्षर मौका रिपोर्ट संलग्न है।

2. **अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–**

   (क) ग्राम उदामाण्डी की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 1 में खसरा नम्बर 29 की किस्म पुराने रिकार्ड के अनुसार गैर मुमकीन आबादी दर्ज थी। लेकिन जमाबन्दी संवत 2025 से 2028 में गलत तरीके से बाड़ा दर्ज हो गयी है जिसे हाल जमाबन्दी के खाता संख्या 1 के खसरा नम्बर 29 की किस्म गैर मुमकीन आबादी दर्ज की जावे।

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी/तहसीलदार (भू०अ०) बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) से उनके पत्रांक भू.अ./2025/1893 दिनांक 13.06.2025 से विस्तृत तथ्यात्मक एवं मुताबिक राजस्व रिकार्ड के इस आशय की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि वाके ग्राम उदामाण्डी की जमाबन्दी संवत 2012 से 2015 के खाता संख्या 1/5 के खसरा नम्बर 29 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 30 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 31 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 32 रकबा 3 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 34 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 15 बिस्वा की किस्म गैर मुमकीन आबादी दर्ज रिकार्ड है। जो जमाबन्दी संवत 2021 से 2024 तक बदस्तुर रही है। जमाबन्दी संवत 2025 से 2028 के खाता नम्बर 1/5 में खसरा नम्बर 29, 30, 31, 32, 33, 34 किता 6 रकबा 15 बिस्वा की किस्म जमाबन्दी में बिना किसी परिवर्तन के इन्द्राज के बाड़ा दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2029 से 2032 में उक्त खसरा नम्बरों की किस्म गैर मुमकीन बाड़ा दर्ज है। जो संवत 2033 से 2036 तक बदस्तुर दर्ज रिकार्ड है। समस्त जमाबन्दीयो के खाता संख्या 1 जिम्मन आबादी में उक्त भूमि खसरे दर्ज रिकार्ड है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार (मिसल हैकियत) नवीन खसरा नम्बर 29 बनाया गया जो गत खसरा नम्बर 29, 30, 31, 32, 33, 34 से बना है तथा किस्म गैर मुमकीन बाड़ा दर्ज है। गत खसरा नम्बर 29, 30, 31, 32, 33, 34 की किस्म पूर्व में गैर मुमकीन आबादी दर्ज होने से वर्तमान खसरा नम्बर 29 रकबा 0.21 हेक्टेयर की किस्म गैर मुमकीन आबादी दर्ज किया जाना उचित है। मौके पर लगभग 0.08 हेक्टेयर भूमि पर मकानात बने है। तहसीलदार बुहाना ने जांच रिपोर्ट के अन्त में अंकित किया है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आ[illegible] उक्त राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की [illegible] है।

4. प्रार्थीया की ओर से पत्रावली पर राजस्व सहित अभिलेख [illegible] ग्राम उदामाण्डी की नकल जमाबन्दी संवत 2012 खाता संख्या 1/5, संवत 2033 से 2036 खाता संख्या 1/5, संवत 2025 से 2028 खाता संख्या 1/5, [illegible]त 2021 से 2024 खाता संख्या 1/5, संवत 2075–2078 खाता संख्या 1 पेश हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.10 13:28:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

5. आवाज पर प्रार्थीया स्वयं हाजिर अदालत आई। प्रार्थीया को सुना गया। प्रार्थीया ने कथन किया कि ग्राम उदामाण्डी की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 1 में खसरा नम्बर 29 की किस्म पुराने रिकार्ड के अनुसार गैर मुमकीन आबादी दर्ज थी। लेकिन जमाबन्दी संवत 2025 से 2028 में गलत तरीके से बाड़ा दर्ज हो गयी है जिसे हाल जमाबन्दी के खाता संख्या 1 के खसरा नम्बर 29 की किस्म गैर मुमकीन आबादी दर्ज की जावे।

6. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) ने अपनी जांच रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2025/1893 दिनांक 13.06.2025 में अंकित किया है कि वाके ग्राम उदामाण्डी की जमाबन्दी संवत 2012 से 2015 के खाता संख्या 1/5 के खसरा नम्बर 29 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 30 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 31 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 32 रकबा 3 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 34 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 15 बिस्वा की किस्म गैर मुमकीन आबादी दर्ज रिकार्ड है। जो जमाबन्दी संवत 2021 से 2024 तक बदस्तुर रही है। जमाबन्दी संवत 2025 से 2028 के खाता नम्बर 1/5 में खसरा नम्बर 29, 30, 31, 32, 33, 34 किता 6 रकबा 15 बिस्वा की किस्म जमाबन्दी में बिना किसी परिवर्तन के इन्द्राज के बाड़ा दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2029 से 2032 में उक्त खसरा नम्बरों की किस्म गैर मुमकीन बाड़ा दर्ज है। जो संवत 2033 से 2036 तक बदस्तुर दर्ज रिकार्ड है। समस्त जमाबन्दीयो के खाता संख्या 1 जिम्मन आबादी में उक्त भूमि खसरे दर्ज रिकार्ड है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के अनुसार (मिसल हैकियत) नवीन खसरा नम्बर 29 बनाया गया जो गत खसरा नम्बर 29, 30, 31, 32, 33, 34 से बना है तथा किस्म गैर मुमकीन बाड़ा दर्ज है। गत खसरा नम्बर 29, 30, 31, 32, 33, 34 की किस्म पूर्व में गैर मुमकीन आबादी दर्ज होने से वर्तमान खसरा नम्बर 29 रकबा 0.21 हेक्टेयर की किस्म गैर मुमकीन आबादी दर्ज किया जाना उचित है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व ग्राम उदामाण्डी की जमाबन्दी संवत 2012 के खाता संख्या नया 1 पुराना 5 का अवलोकन करने पर पाया कि गत खसरा नम्बर 29, 30, 31, 32, 33, 34 कुल किता 6 कुल रकबा 15 बिस्वा कि किस्म गैर मुमकीन आबादी दर्ज रिकार्ड है। गत खसरा नम्बर 29, 30, 31, 32, 33, 34 किता 6 कुल रकबा 15 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 29 रकबा 0.21 हेक्टेयर निर्मित हुआ है। जमाबन्दी संवत 2021 से 2024 में किस्म गैर मुमकीन आबादी दर्ज है तथा जमाबन्दी संवत 2025 से 2036 तक में किस्म गैर मुमकीन बाड़ा दर्ज है। मिसल हैकियत संवत 2043 में गत खसरा नम्बर 29, 30, 31, 32, 33, 34 किता 6 कुल रकबा 15 बिस्वा से निर्मित हाल खसरा नम्बर 29 रकबा 0.21 हेक्टेयर की किस्म गैर मुमकीन बाड़ा राजकीय खाता संख्या 1 में दर्ज रिकार्ड है। [illegible] संवत 2075–2078 तक बदस्तुर दर्ज है। तहसीलदार बुहाना ने अपनी जांच [illegible] में अंकित किया है कि जमाबन्दी संवत 2021 से 2024 के पश्चात जमाबन्दी संवत 2025 से 2028 में बिना किसी परिवर्तन के वादग्रस्त भूमि की किस्म [illegible] मुमकीन आबादी से गैर मुमकीन बाड़ा दर्ज की गयी है, जो दुरूस्ती योग्य है। सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.10 13:28:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि की किस्म गैर मुमकीन आबादी से गैर मुमकीन बाड़ा बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश दर्ज की गयी है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के अभिवचनों, पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् के अनुसार प्रार्थीया का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। लिहाजा

—: आदेश :—

9. अतः प्रार्थीया का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम उदामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0) स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075–2078 के हाल खाता संख्या 1 के हाल खसरा नम्बर 29 रकबा 0.21 हेक्टेयर कि किस्म गैर मुमकीन बाड़ा के स्थान पर किस्म **"गैर मुमकीन आबादी"** ग्राम पंचायत उदामाण्डी पंचायत समिति बुहाना जिला झुंझुनू (राज0) के खाते में दर्ज किये जाने का तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना को आदेश दिया जाता है। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना के नाम तहरीर जारी हो।

10. निर्णय आज दिनांक **26.06.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.10 13:28:42 IST
Reason: SelfAttested